इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक ३ मार्च २०२२-फाल्गुन १२, शक १९४३

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 मार्च 2022

आर—2696—2020—सत्रह—मेडि—1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1989 (क्र 3272—850—17—मेडि—2—89 राजपत्र, दिनांक 20—10—1989) को अतिष्ठित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंम.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''मध्यप्रदेश खाद्य एवं औषधिं प्रंशासन (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2020'' है.
- (2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषायें :--

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, खाद्य नियंत्रण के संदर्भ में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, म.प्र. तथा औषधि नियंत्रण तथा अन्य के संदर्भ में नियंत्रक, औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश;
- (ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड एवं "आयोग" से अभिप्रेत है, म.प्र. लोक सेवा आयोग;
- (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम—11 के अंतर्गत भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

201

- (घ) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत हैं, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तिथि से अधिक से अधिक ३ वर्ष पूर्व मितव्ययता यूनिट की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक होने के कारण अतिशेष घोषित किया गया हो;
 - (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति रियायती (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त किया गया हो
 - (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, ज़िन्होंने देश की सशस्त्र सेवाओं में या भूतपूर्व देशी रियासतों की सेनाओं में छह माह से अधिक सेवा की हो और जिन्हें कदाचरण के आधार पर सेवामुक्त न किया गया हो,

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित कर भर्ती किया गया हो,

और

- (क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण होने पर,
- (ख) नामांकन सम्बन्धी शर्ते पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया हो.

(4) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व-सैनिक,

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो,

- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण या गोली लगने तथा घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से पृथक किया गया हो, अथवा दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं होने के कारण सेवामुक्त किया गया हो,
- (ड.) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) "अन्य पिछडा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र एफ—8—5—पच्चीस—4—84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्ग, जैसा कि समय—समय पर संशोधित किया जाए;

- (छ) "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा संघटक इकाईयों में से किसी भी इकाई का अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह माह तक निरन्तर रहा हो, तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन—पत्र देने की तिथि से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो;
- (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बेन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ञ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)" से अभिप्रेत है, जी संविधान के अनुच्छेद—341 एवं 342 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.12.1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते है।
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, अनुसूची-दो के कालम-3 में दर्शित सेवा;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;
- (ड) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (ढ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;
- 3. विस्तार एवं लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.-

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूर्यी—एक में यथाविनिर्दिष्ट पद मूलतः या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों,
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गंये हों, और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये ग्ये हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.—सेवा का वर्गीकरण, उसके लिए निर्धारित वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी तथा वित्त विभाग के प्रावधानों के अंतर्गत समयमान वेतनमान की पात्रंता होगी.

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय—समय पर स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. भर्ती का तरीका.-

(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :--

(क) े सीधी भर्ती बोर्ड के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा द्वारा,
परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी का चयन सीधी भर्ती द्वारा म.प्र. लोकः सेवा
आयोग के माध्यम से किया जाएगा;

(ख) अनुसूची-चार में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नित द्वारा,

(ग) अन्य पदों या सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/संविलियन/प्रतिनियुक्ति द्वारा जैसा कि राज्य सरकार समय—समय पर अवधारित करे.

- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची—एक में उल्लिखित किये गये पदों की संख्या के साथ अनुसूची—दी में उल्लिखित प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुऐ सेवा में किसी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी.
- 7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम—6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता सम्बन्धी शर्ते.-

परीक्षा में चयन किए जाने के लिए पात्रता हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :--

(1) आयु :--

(क) अभ्यर्थी ने परीक्षा / चयन प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् की आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची—तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की हो,

- (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थी को सामान्य उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष शिथिलनीय होगी,
- (ग) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सामान्य उच्चतर आ्यु सीमा अधिकतम 5 वर्ष शिथिलनीय होगी,

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होंगी,

(ङ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछडा वर्ग कल्यांण विभाग की "अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम" के अधीन पुरस्कृत दम्पंतित्यों के सवर्ण पति—पत्नी के सम्बन्ध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथलनीय होगी.

(च) शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था तथा नगर सैनिक के पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी तथा आरक्षित वर्ग के पुरूष एवं मंहिला अभ्यर्थी तथा आरक्षित वर्ग के पुरूष एवं मंहिला अभ्यर्थी और समस्त महिला अभ्यर्थी जिसमें विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा भी सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी.

परन्तु सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुऐ किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

- (छ) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.
- (ज) छंटनी किये गये सरकारी सेवक के सम्बन्ध में उसे अपनी आयु, में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक वार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञांत किया जाएगा बशर्त कि उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह निर्धारित सामान्य उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो.
- (झ) अभ्यार्थी जो कि भूतपूर्व सैनिक है के सम्बन्ध में उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह सामान्य उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.
- (ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नान कमीशन अधिकारियों के सम्बन्ध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गयी नगर सेना सेवा की कालाविध के पूर्ण वर्षों के बराबर उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

(2) शैक्षणिक अर्हता.—अभ्यर्थी के पास अनुसूची—तीन में दर्शायी गयी सेवां/पद के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं होना चाहिए, परन्तुः

नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार पर ऐसे अभ्यर्थियों को ज़ों अन्यथा अर्ह हैं किन्तु जिन्होंने ऐसी अन्य संस्थाओं से जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ज़प से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, या विदेशी विद्यालयों से उपाधियां धारण करते हैं और जिसे परीक्षा / चयन के प्रवेश के लिए योग्य समझा जाता हो, पर भी विचार कर सकेगा।

(3) शुल्क.—नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड/आयोग द्वारा विहित शुल्क का संदाय अभ्यर्थी को करना होगा.

9. निरर्हता.-

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से प्राप्त करने हेतु समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड/आयोग द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता माना जाएगा;

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक संतान हों, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2021 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा;

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा के लिए अपात्र होगा;

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के लिए अपात्र होगे।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूंट दे सकेगा।

10. पात्रता के सम्बन्ध में विनिश्चय.— परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड/आयोग का विनिश्चय-अंतिम होगा और ऐसे अभ्यर्थी को जिसे प्रवेश प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.-

- (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तर से की जाएगी, जिन्हें सरकार समय—समय पर बोर्ड/आयोग से परामर्श कर निश्चित करे तथा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार की जाएगी जिन्हें सरकार प्रसारित करे।
- (2) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के अनुसार 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति तथा 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 10 प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए रक्षित रखे जाऐंगे. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाऐंगे।
- (3) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विवार नियंम-13 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के अनुसार किया जाएगा 'चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक पद कुछ भी क्यों न होते.
- (4) प्रशासन को दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान में रखते हुऐ सेवा में नियुक्ति के लिए बोर्ड/आयोग द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी उप नियम (3) के अधीन यथास्थिति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त स्थानों पर नियुक्त किए जा सकेंगे।
- (5) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति से अनारक्षित नहीं किया जाएगा।
- (6) शासन द्वारा दिव्यांगजनों के लिए समस्तर आरक्षण की व्यवस्था रहेगी।
- (7) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 25 जुलाई 2018 के अनुसार भर्ती किए जाने वाले पदों में से 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त अधिकारी / कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे।
- 12. परिवीक्षा.—सेवा में सीधी भर्ती से लिया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावृधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। उक्त अविध में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षाविध सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने मर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

13. बोर्ड / आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.-

- (1) बोर्ड / आयोग द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ड अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गयी सूची तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ड नहीं हैं, किन्तु जिन्हें बोर्ड / आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुऐ, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, शासन / नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा। यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिये गये नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने पर उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि शासन ऐसी जांचे कर्ने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (4) बोर्ड / आयोग द्वारा चयन सूची जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी जिसे चयन समिति / बोर्ड की सहमंतिं! से 6 माह की कालावधि के लिए बढाया जा सकेगा।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.-

- (1) पात्र अभ्यर्थियों को पदोन्नित हेतु चयन करने के लिए अनुसूचीं—चार में उल्लेखित सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी।
- (2) समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
- (3) अनुसूची—दो में विनिर्दिष्ट पदों को भरे जाने के लिए सामान्य ग्रंशासून विभाग द्वारा समय—समय पर जारी नियम—निर्देशों के अनुसार पदोन्नित में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा होगी।
- 15. पदोन्नित के लिए पात्रता सम्बन्धी शतें.—सिमित उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नित की जाना है या किसी अन्य पद या पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो, स्थानापन्न या मौलिक रूप में उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, जो अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट है और जो विचार क्षेत्र में आते हों:

परन्तु यह कि इस नियम के अंतर्गत किसी कनिष्ठ व्यक्ति को प्रवर श्रेणी / पदोन्नित के लिए केवल उनकी निर्धारित सेवा की अवधि पूर्ण करने के आधार पर उसके वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.-

- (1) सिमिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम—15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें सिमिति सेवा में पदोन्नित रिथानांतरण हेतु उपयुक्त पाया गया हो। चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक रक्षित सूची भी उपरोक्त कालाविध के दौरान होने वाली अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।
- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन, वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुऐ योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।
- (3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित अभ्यंथियों के नाम अनुसूची—चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएँगे।

स्पष्टीकरणः ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया ग्रंथा हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वृत्तिर चयन के तथ्य से ही न लोगों के उपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, विरिष्ठता का दावेदार नहीं होगा।

- (4) तैयार सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।
- (5) यदि पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि यथास्थिति निम्नतर सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया ज़ाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के सम्बन्ध में अपने कारण को लेखबद्ध क्रेगी।

17. आयोग / बोर्ड से परामर्श.-

विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप—खण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परांमर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श आवश्यक नहीं है।

18. चयन सूची.-

- (1) अन्तिम रूप से नियुक्ति प्राधिकारी / सरकार द्वारा अनुमोदित सूची, अनुसूची—चार में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नित के लिए चयन—सूची होगी।
- (2) चयन—सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम—16 के उप—िनयम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालाविध से अधिक नहीं बढायी जाएगी।
- (3) चयनसूची में सम्मिलित व्यक्तियों की, सेवा के कैडर में आने बाले पदों, पर, नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी, जिस क्रम में नाम चयन सूची में हों।

- 19. परिवीक्षा.— सेवा में पदोन्नत प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालविध के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- 20. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उद्भूत हों तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 21. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गयी किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती हैं, जो उसको उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो:

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. निरसन तथा व्यावृत्ति.— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गयी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची—एक (नियम—5 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदाँ की	वर्गीकरण	वैतनमान	नै मैट्रिक्स लेवल	ं अभ्युक्तियाँ
		संख्या				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	मेकवर्गीय)		
1	अधीक्षक	1	-तृतीय वर्ग	36200-114800	9	
2	आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	1	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	
3	सहायक ग्रेड-एक	3	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	
4	कनिष्ठ लेखापाल	10	तृतीय वर्ग	25300-80500	6	पूर्व में स्वीकृत 18 में से 8
						पदों का संविलियन सहायक श्रेणी—3 में किया गया है। संविलियन उपरांत कनिष्ठ लेखापाल के 40 पद शेष हैं।
5	सहायक ग्रेड-दो (उच्च श्रेणी लिपिक/भण्डारी /लेखा/खजांची)	8	तृतीय वर्ग	25300-80500	6	
6	सहायक ग्रेड—तीन	72	तृतीय वर्ग	19500—62000	4	8 पद कनिष्ठ लेखापाल एव 23 पद 'सेंपल' असिस्टेंट के सहायक ग्रेड-3 में संविलियन किए गए हैं उपरोक्तानुसार संविलियन उपरांत सहायक ग्रेड-3 के 72 पद हो गये है।

7	डाटा एंट्री ऑपरेटर (औषधि)	16	तृतीय वर्ग	1950062000	4	
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर (औषधि प्रयोगशाला)	8	तृतीय वर्ग	19500—62000	4	÷
9	सुपरवाइजर	2	तृतीय वर्ग	19500-62000	4	
10	वाहन चालक	2	तृतीय वर्ग	1950062000	4	
11	प्रयोगशाला परिचारक	13	चतुर्थ वर्ग	1800056900	3	
12	भृत्य	60	चतुर्थ वर्ग	15500-49000	1	
	सफाईकर्म <u>ी</u>	6	चतुर्थ वर्ग	15500—49000	1	
13		202	जिपुन पर	10000 10000	-	
	कुल पद	202	क्य	पालिक	L	
			तृतीय वर्ग	36200-114800	9	
1	औषधि निरीक्षक	96			-	
2	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	275	तृतीय वर्ग	36200-114800	9	
3	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	तृतीय वर्ग	32800—103600	8	8
4	सहायक लोक अभियोजक	3	तृतीय वर्ग	42700-135100	10	
5	प्रधान आरक्षक	2	तृतीय वर्ग	22100-70000	5	7
6	आरक्षक	4	तृतीय वर्ग	19500-62000	4	
_	कुल पद	381				
_	30114		कनीकी (खाद्य	परीक्षण प्रयोगशाला)		
1	रसायनज्ञ ग्रेड-एक	1	तृतीय वर्ग	32800103600	8	
2	सहायक लोक विश्लेषक	5	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	
3	रसायनज्ञ- ग्रेड-दो	11	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	35
4	सहायक रसायनज्ञ	1	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	
5	सहायक माइक्रो बायोलॉजिस्ट (खाद्य)	2	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	180
6	प्रयोगशाला टेक्नीशियन	16	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	
7	प्रयोगशाला सहायक	18	तृतीय वर्ग	19500-62000	4	
	कुल पद	54				
		ন		व परीक्षण प्रयोगशाला)).	
1	सहायक विश्लेषक औषधि	3	तृतीय वर्ग	32800-103600	8	
2	सहायक औषधि विश्लेषक	42	तृतीय वर्ग	28700—91300	7	
3	औषधि विश्लेषक	5	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	
4	विज्ञान सहायक	1	तृतीय वर्ग	28700-91300	7	
5	तकनीकी सहायक	5	तृतीय वर्ग	25300-80500	6	
6	एनीमल केयुर टेकर	1	तृतीय वर्ग	25300-80500	6	
7	प्रयोगशाला सहायक	7	तृतीय वर्ग	19500—62000	4	ļ,
8	प्रयोगशाला परिचारक	18	चतुर्थ वर्ग	1800056900	3	
	कुल पद	82				
				सोर्स के पद	-	1 2 2 2
1	डाटा एंट्री आपरेटर (खाद्य)	54	आउटसोर्स		_	शासन द्वारा निर्धारित मानदंड अनुसार
2	प्रयोगशाला परिचारक (खाद्य प्रयोगशाला)	7	आउटसोर्स		-	शासन द्वारा निर्धारित मानदं अनुसार
	कुल पद	61				
	महायोग पदसंख्या	780				9 8

अनुसूची—दो (नियम–6 देखिये) सेवा में भर्ती

विभाग	豖.	सेवा का नाम	पदों	भरे जाने वा	ले पदों की संर	<u>ब्या</u> का प्रतिशत	अम्युक्तियाँ
का नाम			की संख्या	सीधी मर्ती द्वारा (निय ग 6 (1))	पदोन्नति द्वारा (नियम–6(ख))	स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम–6(ग))	(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लोक				(लिपिकव	1		
स्वा. एवं	1	अधीक्षक	1		100		
परिवार	2	आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	1	100			
कल्याण	3	सहायक ग्रेड-एक	3	_	100		
विभाग (म.प्र. खाद्य एवं औषधि प्रशासन)	4	कनिष्ठ लेखापाल	10	25	75		किनिष्ठ लेखापाल के 18 पदों में से 8 पद संविलियत कर सहायक श्रेणी तीन में परिवर्तित किए गए हैं। संविलियन उपरांत किनष्ठ लेखापाल के 10 पद शेष बचे है।
	5	सहायक ग्रेड—दो (उच्च श्रेणी लिपिक / खजांची / भण्डारी / लेखा)	8	-	100		
	6	सहायक ग्रेड-तीन	72	85	15		सा.प्र.वि. द्वारा नियत प्रतिशतता के अनुसार।
	7	डाटा एंट्री ऑपरेटर (औषधि)	16	100	-		
	8	कम्प्यूटर ऑपरेटर (औषधि प्रयोगशाला)	8	100	-		
	9	सुपरवाइजर	2	-	100		
	10	वाहन चालक	2	100	-		
	11	प्रयोगशाला परिचारक	13	50	50		
	12	भृत्य	60	100			
	13	सफाई कर्मी	6	100	_		
				कार्यपा	लेक		Ÿ
	1	औषधि निरीक्षक	96	100	-		
	2	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	275	100	_		
	3	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	100	_		

4	सहायक लोक	3	100	-		*7
	अभियोजक					
5	प्रधान आरक्षक	2	-	_	100 प्रतिशत गृह पुलिस वि. से प्रतिनियुक्ति	\$
6	आरक्षक	4	~~*	_	100 प्रतिशतः गृह पुलिस वि! से प्रतिनियुक्ति	#5 (160)
	'	तकनी	की (खाद्य परी	क्षण प्रयोगशाव	ना)	
1	रसायनज्ञ ग्रेड-एक	1	-	100		
2	सहायक लोक विश्लेषक / रसायनज्ञ ग्रेड—दो / सहायक रसायनज्ञ	17	60	40		इस संवर्ग की संयुक्त पदक्रम सूची होगी।
3	लैब टेक्निशियन	8	-	100		
4	सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट (खाद्य)	2	100	-		न्यूनतम अर्हता न होने पर सीधी ़ं भर्ती द्वारा
5	प्रयोगशाला सहायक	18	50	50	4	न्यूनतम अर्हता न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
		तकनी	की (औषधि पर्र	ोक्षण प्रयोगशा	ला)	
1	सहायक विश्लेषक औषधि	3	_	100		
2	सहायक औषधि विश्लेषक / औषधि विश्लेषक/ विज्ञान सहायक	48	75	25		इस संवर्ग की संयुक्त पदक्रम सूची होगी।
3	तकनीकी सहायक	5	-	100		न्यूनतम अर्हता न होने पर सीधी भंतीं द्वारा
4	एनीमल केयर टेकर	1	100	-		न्यूनतम अर्हता न होने पर सीधी मर्ती द्वारा
5	प्रयोगशाला सहायक	7	50	50		न्यूनतम अर्हता न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
6	प्रयोगशाला परिचारक	10	50	50		-

अनुसूची—तीन (नियम—8 देखिये) सीधी भर्ती **हेतु आयु तथा अर्हता**

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु—सीमा	अधिकतम आयु—सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ	ं अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)		d		कवर्गीय	
लोक	आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	18	40	माध्यमिक शिक्षा मण्डल या शासन	1
स्वा. एवं	जिस्तुलायक (रचनात्राकर)	10	40	द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से	
100				(10+2) प्रणाली के अधीन हायर	
परिवार				सेकेण्ड्री उत्तीर्ण।	
कल्याण				2.(क) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त	
विभाग				संस्थाओं में से किसी एक संस्था	
(म.प्र.				से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:-	(8)
खाद्य			f		
एवं				1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त	
औषधि				किसी भी विश्वविद्यालय से	-
प्रशासन)				डिप्लोमा।	*
				2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त	180
				किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से	(5)
				डिप्लोमा।	
				3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा	P
				स्तर की परीक्षा।	
				4. शासकीय पॉलीटेविनक	
				महाविद्यालय से गॉर्डन ऑफिस	
				मैनेजमेंट कोर्स।	
				5. या तो राष्ट्रीय व्यावसायिक	
				प्रशिक्षण परिषद्(एन.सी.वी.टी.)	
				नईदिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक	
				प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.वी.टी.)	
		1		मध्यप्रदेश से एक वर्षीय "कम्प्यूटर	
				ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग अस्टिंट"	
				(कोपा) प्रमाण पत्र।	
				(ख) ऊपर उल्लिखित मान्यता	
		<		प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर	
		-		डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता	
				भी मान्य होंगी:-	
				(1) बी.ई. (सी.एस.ई./ आई.टी.)	
	1			/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी	
		-	-	(आई.टी / सी.एस.) / बी.एस.सी.	
				(आई.टी / सी.एस.) / एम.टेक / एम.	
				ई. इत्यादि।	
		1		इ. श्रपाप ।	

				17. (666)	
				(2) ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित	* 5
				पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ५इन/	
				कम्प्यूटर साफ्टवेयर/ क्म्प्यूटर	
				एप्लीकेशन एवं इफोविव्हंबनेस	
				टेक्नोलॉजी इत्यादि।	4
				(ग) बी.एस.सी / बी.कामः / ऐसी	
				शिक्षा जिनमें केवल कमप्यूटर के	
				एक विषय का अध्यापन सम्मिलित	
				है मान्य नहीं होगी।	1
				(3) 20 शब्द प्रति मिनट की गति	
				से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वैभाग	
			-	द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता	
				प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.)	
			1	प्रमाण-पत्र (स्कोर कार्ड)	
				(4) मान्यताप्राप्त संस्थाओं /	
				परिषद् से 80 शब्द प्रतिमिनट क़ी	
				गति से हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण	
				हाने का प्रमाण पत्र।	
करि	ोष्ठ लेखापाल	18	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	
944	IN CIGITIES	10	40	स्नातक, लेखा परीक्षा उतीर्ण तथा	Ŷ.
				लेखा कार्य का पांच वर्ष का	
				अनुभव	1
- ਸਵਾ	यक ग्रेड-तीन	18	40	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल	
\ \(Vigi	1947 80 (11)	10	40	या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त	Į.
				संस्थान से 10+2 प्रणाली के	
				अधीन हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण।	
				2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	
				/ D.O.E.A.C.C से डिप्लोमा् स्तर	
				की परीक्षा/ शासकीय	
		1		पोलिटेकनिक कॉलेज से मार्डन	
				ऑफिस मेनेजमेंट कोर्स/	
				शासकीय आई.टी.आई द्वारा एक	1
				वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा।	
				3. 30 श.प्र.मि. की गति से व्यापम	
1		-		द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टाईपिंग .	
				दक्षता प्रमाण पत्र।	
	and the same of			मान्यता प्राप्त संस्थाओं को	
1		1 1		अतिरिक्त कम्प्यूटर डिप्लोमा के	
				लिए निम्न अर्हताएँ भी मान्य होगी.	
				1. बी.ई. (C.S.E./ I.T.)/ MCA/	
				BCA/M.Sc. (IT & CS) M.Tec/ M.E.	
4				a. AICTE से अनुमोदित Diploma	
				in Computer Science/Computer	
				Application and Information	
				Technology etc.	

	वाहन चालक	18	40	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल या
			,,0	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त
				संस्थान से 10+2 प्रणाली की
				अधीन हाई स्कूल उत्तीर्ण.
Ì				2. व्यवसायिक ड्राईविंग लायुँसेन्स
į	-			(LMV)
				3. 5 वर्ष का ड्राइविंग्ः। का
				अनुभव। भेरिक्
1	प्रयोगशाला परिचारक	18	40	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल् या
				शासन द्वारा मान्यता 🖁 प्राप्त
				संस्थान से 10+2 प्रणाली के
				अधीन हाई स्कूल उत्तीर्ण.
	भृत्य	18	40	8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण ' ' '
	सफाई कर्मचारी	18	40	5वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण
			कार	र्यपालिक
	सहायक सांख्यिकी	18	40	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
	अधिकारी			अर्थ शास्त्र या सांख्यिकी या
				गणित विषय में स्नातकोत्तरं
i	सहायक लोक अभियोजक	18	40	विधि स्नातक.
	l l			2. औषधि तथा प्रसाधन
				सामग्री अधिनियम, 1940 / नियम
				1945 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानंक
				अधिनियम 2006 / नियमः/
	×			विनियम 2011 का ज्ञान;
				3. अभियोजन का तीन वर्ष का
	4000			अनुभव। 1. विधि द्वारा स्थापित
	औषधि निरीक्षक	18	40	विश्वविद्यालय से औषधि—निर्माण
	-			विज्ञान या औषधि विज्ञान या
				नैदानिक भैषज गुण विज्ञान में
				विशेषज्ञता सहित आयुर्विज्ञान या
				सूक्ष्मजीव विज्ञान में डिग्री;
				2. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री
				नियम की अनुसूची ग ्रमें
	×			विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम
ì				एक के विनिर्माण का कम से कम
				18 मास का अनुभव;
				3. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री
				नियम की अनुसूची ग में
				विनिर्दिष्ट पदार्थों में से कम से
				कम एक का परीक्षण करने का-
				कम से कम 18 मास का अनुभव;
				4. औषधि निरीक्षकों के रूप में
(अपनी सेवा की अवधि के दौरान

			8	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम की अनुसूची ग में विनिर्विष्ट किसी पदार्थ का विनिर्माण करने वाली फर्मों का निरीक्षण करने में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव हो। टीपः शैक्षणिक अर्हता के बारे में अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जो 18 अक्टूबर 1993 को या उससे पूर्व निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किये गये थे।	
	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	21	40	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सां विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिग्रीं या रसायन विज्ञान में डिग्रीं या रसायन विज्ञान में समस्टर डिग्री या मेडिसिन में डिग्री; 2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यता प्राप्त अर्हता, या 3. खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथाविर्निष्ट किसी संस्था या संस्थान के अधीन प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो; 4. 5 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिधारित विशेषज्ञता वाला प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	
			तकनीव	5 1	
	औषधि विश्लेषक / विज्ञान सहायक / सहायक औषधि विश्लेषक	18	40	रसायन शास्त्र या बी. फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक	
i	सहायक लोक विश्लेषक/ सहायक रसायनज्ञ/ रसायनज्ञ– ग्रेड–दो	18	40	रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्नातक	(QE
	सहायक माइक्रो बॉयोलोजिस्ट	18	40	माइक्रो बॉयोलॉजी विषय संहित द्वितीय श्रेणी में विज्ञान स्मातक् (बी.एससी.)	
	प्रयोगशाला सहायक	18	40	माध्यमिक शिक्षा मण्डल या शासन	

122				से मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण।	
	एनीमल केयर टेकर	18	40	माध्यमिक शिक्षा मण्डल या शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण।	i i

टीप— सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदो के सम्बन्ध में आयु सीमा तथा उसमें छूट निम्नलिखित सारणी में दर्शाए अनुसार होगी, साथ ही राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा —

सामान्य प्रशासन विभाग का संदर्भ एवं पदों के प्रकार	मर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर अन्य पदों की मर्ती के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा
सामान्य प्रशासन विभाग	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती	18 से 40 वर्ष
के परिपत्र क्रमांक	के पदों के लिए	32 Ke ii :
सी-3-8 / 2016 / 3-एक,	अनु.जा / अनु.जनजाति / अन्य	18 से 45 वर्ष
	पिछडा वर्ग / शासकीय	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
पदों के लिए	निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था	740 \$
	के कर्मचारियों / नगर सैनिक	
¥1	/ निःशक्तजन / महिलाओं	1 4
	(अनारक्षित/आरक्षित आदि के	7
	लिए)	

अनुसूची—चार (नियम—14 देख़िये) सेवा में सम्मिलित पदों पर पदोन्नति

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता अवधि/अनुभव	विभागीय पदोन्नित समिति के सदस्यों के नाम (नियम–13)
(1)	(2)	(3)	(4)	* (5)
		अनुसचिवी	य	**
लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग (म.प्र.	सहायक श्रेणी—एक	अधीक्षक	5 वर्ष	संयुक्त नियंत्रक ! — अध्यक्ष एवं अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति। विभागीय पदोन्नति में एक सदस्य अनु. जाति एवं जनजाति से प्रथम वर्ग/द्वितीय वर्ग स्तर के अधिकारी होंगे।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन)	कनिष्ठ लेखापाल / उच्य श्रेणी लिपिक (सहायक श्रेणी–दो) संवर्ग	सहायक श्रेणी–एक	3 वर्ष	तदैव
	सहायक श्रेणी—दो	कनिष्ठ लेखापाल	3 वर्ष(लेखा परीक्षा उत्तीर्ण को अधिमान्यता)	तदेव
	सहायक श्रेणी-तीन	सहायक श्रेणी-दो	5 वर्ष	तदैव
	भृत्य	सुपरवाइजर	5 वर्ष	तंदैय
	भृत्य	सहायक श्रेणी-तीन	5 वर्ष	तदैव
	भृत्य	प्रयोगशाला परिचारक	5 वर्ष	तदैव
		क	र्यकारी	
	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी	5 वर्ष	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष / सदस्य —अध्यक्ष सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग —सदस्य अायुक्त, खाद्यं सुरक्षा, मध्यप्रदेश —सदस्य
		तकनीकी (खाद्य		
	सहायक लोक विश्लेषक / सहायक रसायनज्ञ / रसायनज्ञ – श्रेणी—दो	रसायनज्ञ श्रेंणी—एक	3 वर्ष	तदैव
	लैब टैक्नीशियन	सहायक लोक विश्लेषक/ सहायक	3 वर्ष	तदैव

•		जन्माञ्च /		
		रसायनज्ञ / रसायनज्ञ– श्रेणी–ेदो		
	प्रयोगशाला सहायक	श्रेणा—दा लैब टैक्नीशियन	3 वर्ष	तदैव
	प्रयोगशाला परिचारक चतुर्थ श्रेणी	प्रयोगशाला सहायक	5 वर्ष	तदैव
		तकनीकी (औषधि	परीक्षण प्रयोगश	गला)
	सहायक औषधि विश्लेषक / औषधि विश्लेषक / विज्ञान सहायक	सहायक विश्लेषक औषधि	3 वर्ष	। तदैव
	तकनीकी सहायक	सहायक औषधि विश्लेषक / औषधि विश्लेषक / विज्ञान सहायक	3 वर्ष	तदैव
	प्रयोगशाला सहायक	तकनीकी सहायक	3 वर्ष	तदैव
	प्रयोगशाला परिचारक चतर्थ श्रेणी	प्रयोगशाला सहायक	5 वर्ष	तदैव

R-2696-2020-XVII-M-1

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of Madhya Pradesh Food and Drugs Administration (Non-Gazetted) Service Rules, 1989(Notification No. 3272-850-17-Medi-2-89, dated 20.10.1989), the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

- 1. Short title and Commencement.-
 - These rules may be called the Madhya Pradesh Food and Drug Administration (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2022.
 - (2) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
- 2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Appointing Authority" in respect of the Food Safety means Commissioner, Food Safety, Madhya Pradesh, and in respect of drug means Controller, Drug Administration, Madhya Pradesh;
 - (b) "Board" means the Madhya Pradesh Professional Examination Board;
 - (c) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
 - (d) "Economically weaker Section (EWS)" means a citizen who does not come under any reserve category such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per General Administration Department's circular No. F-07-11/2019/आप्र./one dated 2nd July, 2019;
 - (e) "Examination" means a competitive examination organized for recruitment under rule 11;
 - (f) "Ex-Serviceman" means a person who belongs to any of the following categories and was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared

surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- (1) ex-serviceman released under mustering out concession;
- (2) ex-serviceman who was employed for more than six months continuously in army of country and not released due to any misconduct;
- (3) ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on;
 - (a) completion of short term engagement;
 - (b) fulfilling the conditions of enrolment;
- (4) ex-personnel of Madras Civil Units;
- (5) officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc. or they are unlikely to become efficient soldiers;
- (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
- who was in a temporary Government Service of this State or of any of constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not

្ទ

more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or an application made otherwise for employment in Government Service;

- (k) "Schedule" means a Schedule appended to the se rules;
- (1) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (m) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (n) "Service" means the service as shown in column (2) of Schedule-II;
- (o) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and Application.-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the service.

The service shall consist of the following persons, namely:-

- (1) persons who at the commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (2) persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Scale of Pay etc.-

The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of the posts included in the service shall be in accordance with provisions contained in ScheduleI and shall be eligible for time pay scale under the provisions of the Finance Department:

Provided that the Government may from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either in a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.-

- (1) Recruitment in the service, after the commencement of these rules shall be by the following methods viz-
 - (a) by direct recruitment generally through competitive examination organized by the Board:

Provided that the direct selection for the post of Food Safety Officer shall be through the Madhya Pradesh Public Service Commission;

- (b) by promotion of the members appointed in the service as specified in column (2) of Schedule-IV;1"
- (c) by transfer/merging/deputation of persons from other posts or services, as the State Government may prescribe from time to time.
- (2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the number of posts shown in Schedule-I and the percentage shown in Schedule-II.
- (3) Subject to the provision of these rules, the method of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government /Appointing Authority.

7. Appointment to the service.

All appointment in the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. Conditions to complete eligibility for direct recruitment.

In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, viz,-

- (1) Age.-
 - (a) He must have attained the age as shown in column (3) of Schedule-III and not attained the age as shown in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following date of commencement of the examination/selection;
 - (b) the upper age limit shall be relaxable up to a maximum 5 years, if a candidates belongs to a scheduled castes or Scheduled Tribes;
 - (c) in regard of Vikram Award holders, the upper age limit shall be relaxable up to 5 years;
 - (d) in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997 the upper age limit shall be relaxable up to 10 years for women candidates;
 - (e) the general upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of a partner belonging to unreserved category who has been awarded under the Intercaste marriage incentive Scheme of Tribal, Scheduled Castes and Other Backward classes Welfare Department;
 - (f) in respect of the male and female candidates working under the Government/ Corporation/ Board/ Autonomous body and Nagar Sainik and male and female candidates belonging to reserved category and all female candidates including widow/ abandoned/ divorced, the maximum age limit shall be 45 years:

Provided that the maximum age limit for any cadre including all relaxations in any case shall not be exceed more than 45 years.

(g) the upper age limit regarding disabled candidates shall be relaxable as the State Government may prescribe from time to time;

- (h) a candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by himto a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years;
- (i) a candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age, the period of all defence services previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years;
- (j) The upper age limit shall be relaxable in the case of voluntary Home Guards and non commissioned officers of Home Guards equal the period of service rendered so by but in no case if their age should exceed 45 years.

(2) Educational Qualification.-

The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in the Schedule-III appended hereto:

Provided that candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities being universities not specifically recognized by Government also be considered for selection at the discretion of the Commission/Board/Appointing Authority.

(3) Fees.-

The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority/ Board/Commission.

9. Disqualification.-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority/ Board/Commission to disqualify him from admission to the examination.
- (2) Any candidate who married before minimum age limit prescribed for marriage, shall be disqualified for appointment on any post or service:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January 2001, in which two or more than two children are born.

- (3) Any candidate who was proved convict in the charge against women, shall be disqualified for service;

 Provided that here such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case.
- (4) Any candidate who have more than one living wives, and any female candidate who married such a person, who already have a living wife, shall be disqualified for service:

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

10. Decision about eligibility.-

The decision of the Appointing Authority/Board/Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/ selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued shall be permitted for examination.

11. Direct recruitment by competitive examination.-

- (1) The Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Board/Commission from time to time determine, and the examination shall be held in accordance with such orders issued by the Government.
- As per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Rules, 1998, 16% posts for Scheduled Castes, 20% posts for Scheduled Tribes,27% posts for Other Backward Classes and 10% post for the Economic WeakerSection Candidates shall be reserved and for the female candidates the posts shall be reserved in accordance with the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (3) In filling the vacancies so reserved, for candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

- (4) The candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected for appointment in the service with due regard to maintenance of efficiency of administration, may be appointed by the Board/Commission on the vacancies reserved for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, under sub-rule (3).
- (5) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling the all vacancies reserved, in no case shall be unreserved to fill them by other candidates except the reserved category for whom reserved the post or posts.
- (6) The reservation for disabled persons shall be maintained by the Government horizontally.
- (7) According to the Madhya Pradesh Government General Administration Department's circular dated 25th July, 2018, 20 percent of the posts to be recruited shall be reserved for contractual officers/employees.

12. Probation.-

Every person selected in service by direct recruitment shall be appointed on probation for a period of three years. During this period an amount of 70% for 1st year, 80% for 2nd year and 90% for 3rd year of minimum pay-scale of the post shall be payable as the stipend. The pay in the pay-scale shall be started after completion of probation period successfully.

13. List of candidates recommended by the selection committee/ Board/Commission.-

The Board/Commission shall forward to the Government (1)a list arranged in order of merit of the candidates who standards as mine and of qualified by such determine Board/Commission may Scheduled Castes, belonging to the candidates Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard are declared by the Board/Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

- (2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appeared in the list.
- (3) The inclusion of candidate's name in the list shall confer no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment of the service.
- (4) The duration of validity of selection list shall be one year from the date of issue by the Board/Commission and it may be extended 6 more months after consultation of selection committee/ Board/Commission.

14. Appointment by Promotion.-

- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for promotion of eligible candidates.
- (2) The committee shall meet at least once in a year.
- (3) To fill the posts mentioned in Schedule-II, the reservation and limits zone of consideration shall be maintained according to the instructions issued by the Government from time to time.

15. Conditions of eligibility for promotion.-

Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year, had completed such number of years of service (whether officiating or substantively) on the posts from which promotion is to be made as specified in Schedule-IV and are within the zone of consideration:

Provided that no junior person shall be considered for select grade/promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service under this rule.

16. Preparation of the list of the suitable person.-

- (1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule-15 above and as are held by the committee to be suitable for promotion/ transfer to the service. A reserve list shall also be prepared to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list, consisting of 25% of the numbers of persons included to meet the unforeseen vacancies.
- (2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect with due regard to seniority.
- (3) The name of the candidates included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

Explanation: A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. Consultation with the Commission/Board.-

The recommendation of the departmental promotion committee shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320, if the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select List .-

- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority/ Government shall form the select list for promotion of the members of the service as shown in Schedule-IV.
- (2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule-16, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.
- (3) The persons included in select list shall be appointed on the posts of cadre in service, in the order as appeared in select list.

19. Probation.-

Every candidate promoted in service shall be appointed for two years on probation.

20. Relaxation.-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and suitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and Saving.-

All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Schedule-I (See rule-5) Classification in service, Pay scale and Number of posts included in service

S.No	Name of posts included in service	Number of posts	Classification	Pay Scale	Matrix level	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Minister	ial		
1.	Superintendent	1	Class-III	36200-114800	9	
2.	Stenographer	1	Class-III	28700-91300	7	1119
3.	Assistant Grade-I	3	Class-III	28700-91300	7	
4.	Junior Accountant	10	Class-III	25300-80500	6	out of 18 posts, 8 post sanctioned posts have been merged into the Assistant Grade-III. There are 10 posts of junior accountants left after the merger.
5.	Assistant Grade- II (UDC/Store Keeper/Account/ Cashier)	8	Class-III	25300-80500	6	
6.	Assistant Grade-	72	Class-III	19500-62000	4	8 posts of junior accountant and 23 posts of sample assistant have been merged in to Assistant Grade - III. After the merger, 72 posts of Assistant Grade-III have been formed.
7.	Data entry operator (Drugs)	16	Class-III	19500-62000	4	*
8.	Computer Operator (Drugs Lab)	8	Class-III	19500-62000	4	9
9.	Supervisor	2	Class-III	19500-62000	4	a)
10.	Driver	2	Class-III	19500-62000	4	7 N

11.	Lab. Attendant	13	Class-IV	18000-56900	3	23.5
12.	Peon	60	Class-IV	15500-49000	1	1
13.	Sweeper	6	Class-IV	15500-49000	1	1 1 1
	Total Posts	202				1 12 47
			Execu	tive		
1.	Drugs Inspector	96	Class-III	36200- 114800	9	
2.	Food Safety Officer	275	Class-III	36200- 114800	9	16.
3.	Assistant Statistical Officer	1	Class-III	32800- 103600	8	
4.	Assistant Public Prosecutor	3	Class-III	42700- 135100	10	
5.	Head Constable	2	Class-III	22100-70000	5	"
6.	Constable	4	Class-III	19500-62000	4	
	Total Posts	381				
		Techn	ical (Food Tes	sting Laboratory)		1
1,	Chemist Grade-I	1	Class-III	32800- 103600	8	200
2.	Assistant Public Analyst	5	Class-III	28700-91300	7	
3.	Chemist Grade-II	11	Class-III	28700-91300	7	F0
4.	Assistant Chemist	1	Class-III	28700-91300	7	
5.	Assistant Microbiologist(Fo od)	2	Class-III	28700-91300	7	
6.	Laboratory Technician	16	Class-III	28700-91300	7	ł
7.	Laboratory Assistant	18	Class-III	19500-62000	4	
	Total Posts	54				
		Techn	ical (Drug Tes	ting Laboratory)		
1.	Assistant Analyst(Drugs)	3	Class-III	32800- 103600	8	
2.	Assistant Drug Analyst	42	Class-III	28700-91300	7	(3)
3.	Drug Analyst	5	Class-III	28700-91300	7	

	Grand Total of Posts	772				g 1 1 1 1 1 1 1
	Total Posts	61				
	(Food Laboratory)					
2.	Laboratory Attendant	7	Out source	=	_	As per Government norms
1.:	Data Entry Operator (Food)	54	Out source	_	-	As per Government norms
			Out sour	rce		
	Total Posts	74				
8.	Lab. Attendant	10	Class-IV	18000-56900	3	g¢ .
7.	Laboratory Assistant	7	Class-III	19500-62000	4	·
6.	Animal Care Taker	1	Class-III	25300-80500	6	"
5.	Technical Assistant	5	Class-III	25300-80500	6	
4.	Scientific Assistant	1	Class-III	28700-91300	7	1

Schedule-II

(See rule-6) Recruitment in service

Deptt	S.N o.	Name of Service	No. of posts	Percentage of	number of pos	ts to be filled	Remarks
				By Direct Recruitment (Rule-6(1))	By Promotion (Rule-6(b))	By: transfer/ deputation (Rule-6(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Public				Ministeri	al		
Healt	1.	Superintendent	1		100		
h and	2.	Stenographer	1	100			
Famil	3.	Assistant Grade-I	3		100		
y Welfar e Deptt.	4.	Junior Accountant	10	25	75		of 18 have been merged in Assistant Grade III
(M.P. Food and Drugs Admin istrati on)							after merging 10 post o Junior Accountant is remained.

5.	Assistant Grade- II (UDC/Store Keeper /Account/Cashier)	8		100	
6.	Assistant Grade- III	72	85	15	As per instructions of G.A.D., Madhya Pradesh
7.	Data entry operator (Drugs)	16	100		
8.	Computer Operator (Drug Lab)	8	100		
9.	Supervisor	2		100	
10.	Driver	2	100		1.00
11.	Lab. Attendant	13	50	50	
12.	Peon	60	100		
13.	Sweeper	6	100		

			Executive		
1.	Drugs Inspector	96	100		1
2.	Food Safety Officer	275	100	==:/:	
3.	Assistant Statistical Officer	1	100	••;	
4.	Assistant Public Prosecutor	3	100		i .1
5.	Head Constable	2		**	100% on deputation fromHom e /Police
6.	Constable	4	##		100% on deputation fromHom

	7	Technical	(Food Testing		
1.	Chemist Grade-I	1		100	
2.	Assistant Public Analyst/ Chemist Grade-II/ Assistant Chemist	17	60	40	Combined
3.	Lab Technician	8	**	100	
4.	Assistant Microbiologist (Food)	2	100		By direct recruitment if non available of minimum qualification
5.	Laboratory Assistant	18	50	50	274
	all de la constant de	Technical	(Drugs Testing	(Laboratory)	
1.	Assistant Analyst Drugs	3	571	100	
2.	Assistant Drugs Analyst/ DrugsAnalyst/ Scientific Assistant	48	75	25	Combined
3.	Technical	5	241	100	
	Assistant				
4.	Animal Care Taker	1	100	-	4
5.	Laboratory Assistant	7	50	50	By direct recruitmen if non available of minimum qualification

(Schedule -III)

(See rule-8) Age-limit and eligibility for direct recruitment

Name of	Name of	Minimum	Maximum	Required educational qualifications	Remarks
Department	service	age-limit	age-limit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	. (6)
Public			7	//inisterial	la.
Health and	Stenographer	18	40	Must havepass Higher Secondary	•
Family				(10+2) from any institute	
Welfare				recognized by the Government.	
Department				2(a) One year computer diploma	
				from any of following institutes-	
				(1)any university recognized by	
(Madhya				UGC	
Pradesh				(2) any open university	
Food and				recognized by UGC	
Drug				(3)DOEACC	
Administra				(4) Modern Office Management	
tion)				Course from Government	-
				Polytechnic College	
				(5)one year certificate course	<u></u>
				(computer operator	
				andProgramming Assistant) COPA from NCVT or SCVT	
				(b)instead of above said	
				eligibility, following qualification	
				also shall be acceptable-	
				(1)BE(CS/IT)/MCA/BCA/MSc(IT	
				/CS)/BSc (IT/CS)/M.Tech/ME	
				etc.	
				(2) Polytechnic diploma in	
				computer software/ computer	*
				application and effectiveness	
				technology etc.	
				(3)CPCT Score card organized by	KC.
				Science and Technology	
				Department with 20 words per	
				minute of speed	
				(4)Passing certificate of Hindi	
				stenography Examinationfrom	
				recognized institute/Council	
	Junior	18	40	Bachelor degree from recognized	
	Accountant			university with passing account	
				examination and 5 years	
	ssistant Grade-	III 18	40	experience of accounting. 1. Higher Secondary (10+2)	

the Government. 2-Commercial Driving License (LMV) 3-Driving Experience of 5 years	Driver	18		from any institute recognized by the Government. 2. (a) It is compulsory to passione year computer diploma from one of the following recognized institutions. 1. Diploma from any university recognized by UGC. 2. Diploma from any open university recognized by UGC. 3. Diploma level examination from DOEACC. 4. From the Government Polytechnic College, Modern Office Management Carers. 5. One year Computer Operator and Programming Assistant (COPA) certification from either National Council of Vocational Training (NCVT), New Delhi or State Council of Vocational Training (SCVT), M.P. (b) In addition to the computer diploma with the above mentioned recognized Institution, the following shall also be acceptable. (1) BE(CSE/IT)/MCA/BCA/M.Sc. (IT/CS)/ B.Sc. (IT/CS) / M.Tec./M.E. and so on. (2) AICTE approved polytechnic diploma in computer software/Computer Application and effectiveness technology etc. 3. CPCT Score card organized by Science and Technology Department with 30 words per minute of speed. 1- High School (10+2) from any institute recognized by 1- High School (10+2) from any institute recognized by	
18 40 Must have passHigh School				the Government. 2-Commercial Driving License (LMV) 3-Driving Experience of 5 years	
Lab. Attendant 18 40 Wast nave passes	Lab. Attendant	18	40	Must have passHigh School	

			(10+2) from any institute recognized by the Government.	
Peon	18	40	8th standard passed	•
Sweeper	18	40	5th standard passed	
		Ex	recutive	
Assistant Statistical Officer	18	40	Master degree in Economics or Statistic or Mathematics from any recognized university	
Assistant Public Prosecutor	18	40	1-Bachelor degree in law 2-Knowledge of Drugs and Cosmetic Act, 1940/ Rules 1945and Food Safety and Standards Act 2006/ rules/regulation, 2011 3-Three years experience ofprosecution.	
Drugs Inspector	18	40	Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences Medicine with specialisation in Clinical Pharmacology or Microbiology from a university established in India by law.	No person who has any financial interest in the import manufact ure or sale of drugs or cosmetics shall be appointed to be an Drugs
Food Safety Officer	21	40	1. Degree in Food Technology or Dairy or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Science or Biochemistry or Microbiology or Master degree in Chemistry or degree in Medicine from a recognized University. 2. Any other equivalent/recognized qualification notified by the Central Government.	Inspector No person who has any financial interest in the manufact ure, import or sale of any article of food shall be appointed to be a Food Safety Officer.
 		Тe	echnical	0001.
Assistant Drugs Analyst / Drugs Analyst / Science Assistant	18	40	Second division Science Graduate in Chemistry or B.Pharma from a recognized University.	
Assistant Public	18	40	Second division Science	

Analyst/ Chemist Grade-II/ Assistant Chemist			Graduate in Chemistryfrom a recognized University.	i J
Assistant Microbiologist	18	40	Second division Science Graduate (B.Sc.) in Microbiologya recognized University.	# - 5)
Laboratory Assistant	18	40	Higher Secondary with Science Subject under the scheme of (10+2) pattern from any institution recognized, by the Board of Secondary Edition Government.	- B.
Animal Care Taker	18	40	Higher Secondary with Science Subject under the scheme of (10+2) from any institution recognized by the Board of Secondary Education Government.	h

N.B.— According to the instructions of GAD, the age-limit and relaxation to fill the posts by direct recruitment shall be as shown in the following table. Simultaneously it is necessary to have living registration in the employment exchange of the State.

Reference of GAD and kind of posts	Class/Cadre of candidates	Minimum and maximum age limit to fill the other posts beyond Madhya Pradesh Public Service Commission
GAD's circular C-3-8/2016/3-I	For the posts of direct recruitment by open competition	18 to 40 years
dated 04-07- 2019 For civil posts	SC/ST/OBC/employees of Government/ Corporation/Commission/Autono mous/ Home Guard/ disabled/Women (Reserved/unreserved)	18 to 45 years (relaxation of 5 years in upper age limit)

Schedule-IV

(See rule-14)

Promotion on the posts included in service

Name of Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Requisite experience	Member of Departmental Promotion Committee (rule 13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Public	Ministerial				
Health and Family Welfare Department	Assistant Grade-I	Superintendent	5 Years	Joint Controller, - Chairman And DPC organized by Chair person An equivalent nominated officer representing SC/ST	

	P. 1	1					
	Junior	Assistant	3 Years	" ·			
/N/- 31	Accountant/	Grade-I		'			
(Madhya	Assistant Grade-II			249			
Pradesh Food and Drug Administ	(UDC) cadre			7			
	Assistant Grade-II	Junior	3 Years	, j*i!-			
	(UDC) cadre	Accountant	Preference				
	, ,		to				
ration)			accounts				
1			examinati				
			on				
		ľ					
	Assistant Grade-III	A	passed	1 14: -5			
	Assistant Grade-III	Assistant	5 Years	* <u>1.21</u> ?			
		Grade-II		29.29 00			
		cadre		Y 80			
	Peon	Supervisor	5 Years	1 021 B			
	Peon	Assistant	5 Years	, , , , , ef			
		Grade-III		4			
	Peon .	Lab. Attendant	5 Years	»;			
	Technical (Food testing Laboratory)						
į.	Assistant Public	Chemist Grade-I	3 Years	Joint Controller, - Chairman			
	Analyst/ Chemist		0 10000	And DPC organized by Chair			
	Grade-II/ Assistant			person			
	Chemist			An equivalent nominated			
	- Citoring t	l					
	Lab. Technician	Assistant Public	3 Years	Officer representing SC/ST			
	Lab. Technician		3 Years	 			
		Analyst/		#1.HF			
		Chemist Grade-					
		II/ Assistant					
		Chemist		ψ (y = ±===			
	Lab. Assistant	Lab Technician	3 Years	,,,			
	Lab. Attendant	Lab Assistant	5 Years	?*			
	(Class IV th)						

	Technical (Drug testing Laboratory)					
	Assistant Drug Analyst / Drug Analyst / Science Assistant	Assistant Drug Analyst	3 Years			
×	Technical Assistant	Assistant Drug Analyst / Drug Analyst / Science Assistant	3 Years			
	Lab Assistant	Technical Assistant	3 Years			
	Lab Attendant (Class IV)	Lab Assistant	5 Years			

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत कुर्रे, उपसचिव.